छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00031 प्रकरण दर्ज दिनांक–07.05.2018

श्री अभिनव श्रीवास्तव विरूद्ध श्री देवतनु चक्रवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर

ग्राम–उरला, रा.नि.म.–भिलाई–3, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
16/07/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदक श्री अभिनव श्रीवास्तव स्वतः उपस्थित। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री डेरेश्वर बंजारे के माध्यम से उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–उरला, तह.–भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में "तनु कन्स्ट्रक्शन" द्वारा प्लाटिंग कर भूखण्ड कय करने का सौदा किया गया था। प्रश्नाधीन भूखण्ड हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल 5,00,000/– रूपये का भुगतान किया गया था। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य इस हेतु दिनांक 22.02.2013 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने अनावदेक द्वारा निर्धारित अवधि में भूखण्ड विकास कर प्रदान न करने के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई राशि व नियमानुसार अन्य हक दिलाने का अनुरोध किया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक को विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सुनकर आवेदक द्वारा भुगतान की गई रूपये 5,00,000/–की मूल राशि, 34 माह की विलंब अवधि के ब्याज रूपये 1,46,625/– सहित दिनांक 16.07.2018 तक लौटाने का आदेश प्राधिकरण द्वारा दिया गया। साथ ही इसका प्रमाण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। – अनावेदक द्वारा दिनांक 16.07.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कुल राशि 6,46,625/– रूपये आवेदक को उनके भारतीय स्टेट बैंक स्थित खाता कमांक–20005336673 में अंतरित करने का कथन किया है।	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00031 प्रकरण दर्ज दिनांक–07.05.2018

श्री अभिनव श्रीवास्तव विरूद्ध श्री देवतनु चक्रवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर

ग्राम–उरला, रा.नि.म.–भिलाई–3, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
क्रमशः 16/07/18	– आवेदक ने भी ब्याज सहित उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त करने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। आवेदक ने उभय पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामा की मूल प्रति व चेक अनावेदक को लौटाते हुए भविष्य में इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत न करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य (विवेक ढाँड) अध्यक्ष	16/7/18 Abhinav 16/7/18

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर